(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3828—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—10—2015 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 78/निगरानी/2009—10.

———

रविराज तनय धनई जैसवाल
निवासी ग्राम भदौरा थाना मझौली
तहसील कुसमी जिला सीधी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1-- शिव कुमार तनय पंचम साहू
2— देवराज तनय पंचम साहू

——— अनावेदकगण

3— सूर्यदीन तनय नियकू चमार
4— नन्दलाल तनय निचकू चमार
5— लोलर तनय निचकू चमार
6— संपति तनय निचकू चमार
7-- अमृतलाल तनय देवराज
समस्त निवासीगण ग्राम भदौरा
थाना मझौली तहसील कुसमी
जिला सीधी म0प्र0

फॉर्मल पक्षकार

.....

श्री एस0 एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश
(आज दिनांक 22/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 78/निगरानी/2009—10. में पारित आदेश दिनांक 31.10.15 विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व

संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण कमांक 1, 2 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भदोरा की आराजी न0 146/2 का नवीनआराजी कमांक 295/0.14, 296/0.05 296/0.02 है0 बनाया गया है जिस पर आवेदकगण अर्सा 40 वर्ष से मकान बनाकर कृर्षि कार्य कर काबिज हैं अनावेदक कमांक 1 को वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी कमांक 295 में अपने सहयोगी अनावेदक कमांक 1 से 5 का नाम खसरे में भूमि स्वामी कालम के बिना सक्षम अधिकारी के आदेश अंकित कराया और खसरा वर्ष 2001–02 में आराजी कमांक 295 के साथ–साथ भूमि कमांक 296 व 297 जो म0 प्र0 शासन के नाम दर्ज थी में बाहुक्कम नायब तहसीलदार प्रभारी पोडी के प्रकरण कमांक 59/अ–19(2)/94–95 दिनांक 24.01.95 के सहारे स्वतः को भूमि स्वामी अंकित करा लियां उपरोक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन दिया गया न्यायालय द्वारा बताया गया कि उपरोक्त नम्बर का कोई प्रकरण नहीं मिल रहा है। आवेदकगण विषयांकित अधिनियम के तहत पटट्ा पाने की पात्रता नहीं रखते हैं राजस्व कर्मचारियों को मिलाकर फर्जी तौर से भूमियों में फर्जी प्रकरण के सहारे स्वतः को भूमि स्वामी अंकित करा लिया जिससे परिवेदित होकर अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें आदेश पारित कर शिवकुमार आदि की निगरानी स्वीकार की गई इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अमृतलाल ने नायब तहसीलदार कुसमी के समक्ष एक आवेदन धारा 115, 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.3.07 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त नवीन सर्वे कमांक 295 रकवा 0.14 है0 296 रकवा 0.05 है0 297 रकवा 0.02 है0 आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की होकर सरकारी अभिलेखों में दर्ज होकर एवं मकान बनाकर कृषि कार्य करता हुआ चला आ रहा है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा हे कि 1 लगायत 2 द्वारा एक आवेदन भूमि सर्वे कमांक 295 रकवा 0.14 है0 296 रकवा 0.05 है0 297 रकवा 0.02 है0 ग्राम भदौरा की भूमि पर कब्जा इन्द्रांज कराने हेतु एक आवेदन नायब तहसीलदार कुसमी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 8/अ–6अ/2010–11 पर आदेश दिनांक 25.5.2011 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित

हुआ। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहसी में यह भी तर्क लेख किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 शिव कुमार द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 मझौलजी जिला सीधी व्यवहार वाद कमांक 140ए/2012 संस्थित कराया गया जिसमें आवेदक के पक्ष में आदेश दिनांक 15.1.14 को पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति इस निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि एक आवेदन पत्र न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश जिला सीधी के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 295 रकवा 0.14 है0 296 रकवा 0.05 है0 297 रकवा 0.02 है0 के संबंध में एक वाद पत्र प्रकरण कमांक 616ए/2005 स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 17.8.06 के द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया आवेदक द्वारा उक्त आदेश एवं डिक्री दिनांक 17.8.06 के पालन कराये जाने हेतु न्यायालय सिविल जज द्वितीय के न्यायालय में प्रकरण कमांक 626ए/2007 प्रस्तुत किया जिसमें आदेश जुलाई 2009 में हो गया। जिसकी प्रति विशेष जिला न्यायाधीश महोदय के सिविल अपील विरोधी अमृतलाल ने रविराज के विरूद्व प्रस्तुत किया जो अदम पैरवी में दिनांक 21.7.10 को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्व आज दिनांक तक अनावेदक कमांक 1 एवं 2 तथा अमृतलाल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये वह आदेश दिनांक 17.8.06 अंतिम हो चुका है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर कलेक्टर जिला सीधी का आदेश दिनांक 31.10.15 निरस्त किया जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया । उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जिसमें उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्को पर विचार किया तथा अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं तथा उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

5– प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसमें अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 78/निगरानी/09–10 के पृष्ठ कमांक 8 पर खसरा संलग्न है। जिसमें रविराज तनय धनई कलार कॉलम 12 में अंकित है, इसी प्रकरण पृष्ठ कमांक 9 में संलग्न खसरा में लेख है **"नोट हुक्म श्री नायव तहसीलदार प्रभारी पोड़ी के आदेश प्रकरण कमांक 59/अ–12(2)/94–95 दिनांक 24.1.95 को सर्वे न0 है0 296 रकवा 0.05 है0 297 रकवा 0.02 है0 सर्वे कमांक 299 रकवा 0.09 द्वारा म0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत**

हुये श्रीमान सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल कमांक 1 के द्वारा पटट्ा दर्ज कराने का आदेश हुआ है'' आवेदक अधिवक्ता ने मौखिक तर्क में कहा है कि आवेदक के कब्जे की बादग्रस्त भूमि को मेहनत करके कृर्षि योग्य बनया है। नायव तहसीलदार प्रभारी पोड़ी के आदेश प्रकरण कमांक 59/अ–12(2)/94–95 दिनांक 24.1.95 को सर्वे न0 है0 296 रकवा 0.05 है0 297 रकवा 0.02 है0 सर्वे कमांक 299 रकवा 0.09 द्वारा म0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत हुये श्रीमान सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल कमांक 1 के द्वारा पटट्ा दर्ज कराने का आदेश हुआ है इस संबंध में अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा खसरे में अंकित के संबंध में अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अपने आदेश में विवेचना नहीं की है अपितु सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो speaking order की श्रेणी में नहीं माना जा सकता हैं यदि आवेदक के अधिवक्ता एवं मान0 व्यवहार न्यायाधीन के आदेशों पर विचार किया जाता तो स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अधिवक्ता के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जावे –इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्यों कि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई हैं –प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रकियात्म त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सीधी का प्रकरण कमांक 78/निगरानी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 31.10.15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर